न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2015 जिला–दतिया

निगरानी 1268-II-15

मां प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार दतिया वार्ड नं. 33, 34 के प्रबंधक विनोद यादव पुत्र रामकिशुन यादव, निवासी– गंज राजगढ़ मार्ग दतिया (म.प्र.)

.........आवेदक

विरूद्ध

1– जिला आपूर्ति अधिकारी जिला–दतिया (म.प्र.)

2– मध्य प्रदेश शासन द्वारा अपर कलेक्टर जिला–दतिया (म.प्र.)

...........अनावेदकगण

<u>न्यायालय अपर कलेक्टर जिला–दतिया द्वारा प्रकरण क्रमांक/ 16/2014–15 अपील में पारित आदेश दिनांक 13.05.2015 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।</u>

माननीय महोदय

करण क्रमांक –निगरानी–1268–दो/2015 जिला–दतिया

मां प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार के प्रबंधक विनोद यादव विरूद्ध जिला आपूर्ति अधिकारी व मध्यप्रदेश शास

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
17–05–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला–दतिया प्रकरण क्रमांक 16/2014–15/ अपील में पारित आदेश दिनांक 13–05–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत इस निगरानी को सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 11–07–2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) सदस्य 17.5.19	